मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 ''सी'' विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/3332 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल, दिनांक 27/03/12

प्रति,

स्मरण पत्र

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त (रीवा को छोड़कर)

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. से संबंधित विभिन्न ऑडिट आपत्तियों एवं उनके पालन प्रतिवेदन ऑडिट साफ्टवेयर में अंकित करने बावत्।

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, पंचयत एंव ग्रामीण विकास विभाग, का पत्र क्रमांक 2590/एमजीएनआरईजीएस–एमपी/वित्त एवं लेखा/12 भोपाल, दिनांक 07.03.12

–00–

विषयान्तर्गत संदर्भित शासनादेश के द्वारा निर्देशित किया गया था कि विभिन्न ऑडिटों में उठाए गये बिन्दुओं एवं उनके पालन प्रतिवेदन को शुद्वता पूर्वक ऑडिट साफ्टवेयर में अंकित किया जाये। स्पष्ट है कि जो हार्ड कापी में जिलों ने परिषद को भेजा है उसको वैसा ही साफ्टवयेर में तत्काल ही अंकित किया जाये। तथा एक प्रमाण पत्र भी चाहा गया था।

खेद का विषय है कि शासनादेश के बाद भी संबंधित प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है, जो कि शासनादेशों का उलघंन है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2012 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को भेजा जाये।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

पृ0 क्रमांक/3333 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2012 भोपाल, दिनांक 27/03/12

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, को सादर सूचनार्थ एंव प्रेषित।
2. संभागायुक्त, समस्त की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कलेक्टरों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
मुख्यालय, भोपाल

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ऑडिट साफ्ट्वेयर में जिले द्वारा समस्त प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को हार्ड कापी से मिलान कर ही ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये बिन्दुओं एवं उनके पालन प्रतिवेदन को अंकित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है परिषद् को भेजी गई हार्ड कापी के अनुसार ही साफ्ट्वेयर में अंकन किया गया है।

लेखाधिकारी एनआरईजीएस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक